न्यायालयः विशेष न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस.एक्ट)एटा।
स्पेशल केस नं0—18/2014
राज्य बनाम गजेन्द्र उर्फ गज्जू

धारा—8/22एन.डी.पी.एस.एक्ट
थाना—जैथरा जिला एटा।
अ0सं0—65/2014

दिनांक—19.08.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर तामीलकर्ता उपनिरीक्षक गगनदीप सिंह उपस्थित आये। साक्षी के द्वारा अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ गज्जू की मृत्यु आख्या तस्दीक कर कथन किया गया है कि अभियुक्त की मृत्यु दिनांक 25.03.2016 को हो चुकी है, जिसके समर्थन में सभासद राजेश कुमार द्वारा मृत्यु प्रमाणपत्र अपने लैटर पैड पर न्यायालय में दाखिल किया गया है, जिसको साक्षी सी0डब्लू01 एस0आई0 गगनदीप सिंह तामीलकर्ता द्वारा न्यायालय में प्रमाणित किया गया तथा अपनी साक्ष्य में कथन किया गया है कि अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ गज्जू की मृत्यु कुछ दिन पूर्व हो चुकी है। संबंधित वार्ड के सभासद राजेश कुमार द्वारा लैटर पैड पर हस्तलिखित कर तहरीर प्रस्तुत की है। उपरोक्त साक्षी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ गज्जू की मृत्यु के सम्बन्ध में अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उपरोक्त अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ गज्जू की मृत्यु होने के कारण वाद की कार्यवाही अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ गज्जू के विरूद्ध उपषमित किये जाने योग्य है।

आदेश

स्पेशल केस नं0 18/2014,राज्य बनाम गजेन्द्र उर्फ गज्जू, मुकदमा अपराध संख्या—65/2014 अन्तर्गत धारा 8/22 एन.डी.पी.एस.एक्ट थाना जैथरा जिला एटा में अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ गज्जू के विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जाती है। चूंकि प्रस्तुत मामले में अन्य कोई अभियुक्त नहीं है। अतः पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार संचित की जाये।

(मौहम्मद फिरोज)
विशेष न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस.एक्ट)
एटा।
जे.ओ. कोड—यू.पी. 1796